

कार्यालय आख्या

श्रीमान जी,

प्रस्तुत जरवापसी प्रार्थना पत्र एम.ए.सी. सं0 – 469/2022 श्रीमती सुरजा आदि बनाम टाटा ए.आई.जी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिं0 आदि से सम्बन्धित है। उक्त एम.ए.सी. याचिका इस अधिकरण द्वारा दिनांक 15.04.2026 को उभय पक्षों को सुनकर गुण दोष के आधार पर क्षतिपूर्ति धनराशि मु0 –12,79,600/- रु0 (बारह लाख, उनासी हजार, छः सौ रुपये) के लिये निर्णित की गयी है।

अधिकरण के निर्णय के अनुपालन में प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा निर्णित क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज के मु0 –15,87,384/-रु0 (पन्द्रह लाख, सत्तासी हजार, तीन सौ चौरासी रुपये) जरिये UTR NO. - NFT/XUTR/DEUTH 00613525535X दिनांकित 15.05.2026 के द्वारा इण्डियन बैंक सिविल लाइन्स मुरादाबाद में अधिकरण के खाता सं0 – 8355327914 में अन्तरित किया गया है। उक्त अन्तरित धनराशि अधिकरण के बचत खाते में दिनांक 15.05.2026 को प्राप्त प्रविष्टि है, जो खर्च से सुरक्षित है।

अधिकरण के आदेश के अनुसार जमा क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण धनराशि मु0 –15,87,384/-रु0 (पन्द्रह लाख, सत्तासी हजार, तीन सौ चौरासी रुपये) में से याची को देय उसके अंश की धनराशि का वितरण निम्नवत है -

1. याची सं0 -1 श्रीमती सुरजा आयु 59 वर्ष को मु0 –15,87,384/-रु0 (पन्द्रह लाख, सत्तासी हजार, तीन सौ चौरासी रुपये) में से मु0 –11,87,384/-रु0 (ग्यारह लाख, सत्तासी हजार, तीन सौ चौरासी रुपये) नकद भुगतान जरिये NEFT/RTGS के माध्यम से प्रदान किया जाये तथा मु0 –4,00,000/-रु0 (चार लाख रुपये) एफ.डी.आर के रूप में तीन वर्ष के लिये निर्मित किया जाये।

पत्रावली पर माननीय उच्च न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है।

पत्रावली पर श्री नवीन कुमार गुप्ता, एडवोकेट का अभिभाषक पत्र संलग्न है।

प्रतिवेदन श्रीमान जी की सेवा में आदेशार्थ सादर समर्पित है।

सादर समर्पित

सहायक लेखाकार

आदेश

20.07.2026

एम.ए.सी. सं0 –469/2022 सुरजा आदि बनाम टाटा ए.आई.जी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिं0 आदि में याची की ओर से जरवापसी जर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। कार्यालय आख्या के अनुसार अधिकरण के निर्णय के अनुपालन में प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा निर्णित क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज के मु0 – 15,87,384/-रु0 (पन्द्रह लाख, सत्तासी हजार, तीन सौ चौरासी रुपये) जरिये UTR NO. - NFT/XUTR/DEUTH 00613525535X दिनांकित 15.05.2026 के द्वारा इण्डियन बैंक सिविल लाइन्स मुरादाबाद में अधिकरण के खाता सं0 – 8355327914 में अन्तरित किया गया है। उक्त अन्तरित धनराशि अधिकरण के बचत खाते में दिनांक 15.05.2026 को प्राप्त प्रविष्टि है, जो खर्च से सुरक्षित है।

अधिकरण के आदेश के अनुसार जमा क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण धनराशि मु0 –15,87,384/-रु0 (पन्द्रह लाख, सत्तासी हजार, तीन सौ चौरासी रुपये) में से याची को देय उसके अंश की धनराशि का वितरण निम्नवत है -

1. याची सं0 -1 श्रीमती सुरजा आयु 59 वर्ष को मु0 –15,87,384/-रु0 (पन्द्रह लाख, सत्तासी हजार, तीन सौ चौरासी रुपये) में से मु0 –11,87,384/-रु0 (ग्यारह लाख, सत्तासी हजार, तीन सौ चौरासी रुपये) नकद भुगतान जरिये NEFT/RTGS के माध्यम से प्रदान किया जाये तथा मु0 –4,00,000/-रु0 (चार लाख रुपये) एफ.डी.आर के रूप में तीन वर्ष के लिये निर्मित किया जाये।

पत्रावली पर माननीय उच्च न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है।

बैंक ब्याज याची को नकद के साथ दिया जाये।

तदनुसार जरवापसी प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

नोट:- सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक एफ.डी.आर निर्मित करते समय एफ.डी.आर पर एम.ए.सी. वाद संख्या / नाम पक्षकार एवं निर्णय की तिथि 15.04.2026 अंकित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक 20.07.2026

(पीठासीन अधिकारी)

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,

मुरादाबाद।